

12.03.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में अस्पष्ट मुकाम होने से आए दिन विवाद की स्थिति रहती है। अतः पत्थरगढी करवायी जावे। उभयपक्षों का सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अप्रार्थी द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निवाई को 500/- रुपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 75/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा शा0नं0 76 वाके ग्राम महाराजपुरा पटवार मण्डल पलेई तहसील निवाई का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

